फैक्स नं0. 0522-2286643
☎ नं0. 0522-2287701

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

पत्र सं0: 1576 –मा0सं0प्र0–02/उनिलि/2011– 7(1)–मा0सं0–03/2011 दिनांक : 08 जुलाई, 2011

मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II),
अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ)/पनकी(कानपुर) ।

विषय :– **सेवा निवृत्त/मृतक आश्रितों को पेंशन एवं अन्य सेवा लाभों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

प्रायः देखा गया है कि सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं मृतक आश्रितों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवा लाभों को ससमय स्वीकृत नहीं किया जाता है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा भी अप्रसन्नता व्यक्त की गई है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत निगमादेश सं0: 33–उनिलि/औ0सं0/पेंशनर, दिनांक 12.10.2001 एवं सं0: 132–उनिलि/औ0सं0, दिनांक 04.05.2010 तथा पूर्व परिषदादेश सं0: 8228–जी/राविप–एफ–102र/76, दिनांक 05.10.1978 एवं सं0: 893–पेंशन–31/राविप/461(पी)1/89, दिनांक 21.06.1991 तथा सं0: 1375–पेंशन–31/राविप/94/461पी/89, दिनांक 25.07.1994 एवं पेंशन के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/दिशा निर्देशों के सन्दर्भ में सेवानिवृत्त/मृतक आश्रितों/पारिवारिक पेंशन अथवा अनन्तिम पेंशन जैसी स्थिति हो, को स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।

सन्दर्भित आदेशों में व्यवस्था की गई है कि सेवानिवृत्त कार्मिक को सेवानिवृत्त के अगले प्रथम माह से पेंशन तथा दिवंगत सेवक के आश्रित को एक माह बाद पारिवारिक पेंशन मिलना चाहिए। यदि किसी कारण से सेवानिवृत्त कार्मिकों को अगर पेंशन न मिले तो आगणित पेंशन का शत्–प्रतिशत् अनन्तिम पेंशन एवं मृतकाश्रितों को 90 प्रतिशत अनन्तिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जानी चाहिए। इसी प्रकार अन्य समस्त सेवान्त लाभों के बारे में भी व्यवस्था की गई है। अतः नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारी को अनुमन्य पेंशन सेवान्त लाभों को ससमय स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित किया जाये। यदि उपरोक्त आदेशों को उल्लन्घन होता हुआ पाया गया या विलम्ब पाया गया तो सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

भवदीय,

(विनय प्रकाश कटियार) 8/7/2011
अधीक्षण अभियन्ता(02)

क्रमशः 2

संo: 1576 –(1)–मा0सं0प्र0–02 / उनिलि / 2011, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर ।

(2) निदेशक(कार्मिक) / (तकनीकी) / (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।

(3) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(4) मुख्य अभियन्ता(स्तर–I / II), परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई / तापीय परिचालन / मा0सं0 / ईंधन / सुरक्षा एवं पर्यावरण / जानपद / वाणिज्य / आर0एण्डएम0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।

(5) महाप्रबन्धक (लेखा / सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(6) अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, मा0सं0–01 / 03, उ0प्र0 राज्य विंद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ

(7) मुख्य प्रवन्धक(वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(8) कट फाइल ।

आज्ञा से,

(विनय प्रकाश कटियार)

अधीक्षण अभियन्ता(02)

8.7.2011